न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्याः– 05/2023
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2022/22

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवसी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलार्थी।

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
2. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर
3. हंसराज पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
4. छोटा देवी पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी बालापुरा ढाणी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

....रेस्पोडेन्ट।

उपस्थितः–

1. श्री सत्येन्द्र गोयल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रघुनन्दन राजावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 28.06.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र 16/2020 उनवान प्रहलाद बनाम हंसराज वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत चौथ का बरवाडा के समक्ष धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी प्रहलाद पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी रजवाना की राजस्व ग्राम रजवाना के खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 मे हि 13/17 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी वर्तमान मे उक्त खसरा नंबर के पूर्ण हिस्से में काविज है। खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नंबर 529 पर पंहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्तें की अत्यन्त आवश्यकता है। खातेदारी भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 पर पहुंचने के लिये ग्राम रजवाना के गैर मुमकिन रास्ता से खसरा नंबर 530 की पूर्वी मेड से होकर ही न्यूनतम दूरी पडती है। अतः वादी को कृषि कार्यो को सूचारू रूप से करने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर रास्ते की रिकार्ड मे तरमीम करवाई जावें। अदालत मातहत ने दिनांक 29.11.23 को उक्त वाद पत्र मे निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए आदेश किया कि "प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 मे हिस्सा 13/17 पर जाने के लिये खसरा नंबर 530 की पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चौडा तथा 32 मीटर लंबाई का अर्थात् 128 वर्ग मीटर जिसकी डीएलसी दर 479468 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 6138 रूपये की दुगुनी राशि 12276 /– रूपये राशि अप्रार्थी खातेदारान को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर उक्त रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाया जाना सनिश्चित करें।" उक्त निर्णय से आहत होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 529 पर जाने के लिये खसरा नंबर 530 में होकर कोई रास्ता रिकार्ड व मौके पर नही है। खसरा नंबर 529 मे लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा काश्त की जाती है खसरा नंबर 529 मे लगातार काश्त का होना यह सिद्व करता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उक्त भूमि पर जाते है तथा काश्त करते है।
आगे उल्लेख किया कि दिनांक 27.09.22 को मातहत अदालत ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट आने के बाद जवाब के लिये अवसर की मांग करने के बाद भी जवाब का कोई अवसर नही दिया। यदि अपीलांट को जवाब के लिये अवसर दिया जाता तो न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 द्वारा छिपाये गये रास्ते की जानकारी न्यायालय के समक्ष आ जाती। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के मुताबिक अपीलांट को जवाब का अवसर दिया जाना चाहिये था जो नही देकर मातहत अदालत ने भूल की है। इस कारण मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 29.11.2022 अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 529 पर जाने के लिये ग्राम रजवाना से काले की बेतानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वाले रास्ते से लगता हुआ खसरा नम्बर 73 जो कि रिकार्ड में चरागाह दर्ज है उससे खसरा नम्बर 83 में होते हुऐ खसरा नम्बर 549, 545, जो कि मंदिर श्री राजेश्वरी जी चौथ का बरवाड़ा के नाम दर्ज है तथा रेस्पोडेन्टस स० 1व 2 के कब्जे में है उसमें से होते हुऐ खसरा नम्बर 543, 544, 535, 536, जो कि स्वयं रेस्पोडेन्टस स० 1व 2 की खातेदारी के है उनमें होते हुऐ खसरा नम्बर 529 में जाते है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1व 2 काश्त करते है उक्त जमीन पर जाने के लिये उक्त खेतो में खसरा नम्बर 73, 549, 545, 543, 544, 535, 536 जो कि रेस्पोडेन्टस स० 1 व 2 के कब्जे में है, में स्थित रास्ते से खसरा नम्बर 529 में पहुँचते है उक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष तभी आता जब अपीलान्ट को तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद हेतू समुचित अवसर दिया जाता लेकिन मातहत अदालत ने जवाब के लिये समुचित अवसर न देकर वास्तविकता तक पंहुचे बिना अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता देने का जो आदेश दिया है जो विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का उक्त निर्णय अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कथन किया कि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 पर आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है तथा मातहत अदालत द्वारा आदेशित रास्ता सबसे सुगम व छोटा रास्ता है जिससे की रास्ते मे उपयोग लिये जाने से भूमि का नुकसान भी कम हो रहा हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा के अनुसार खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 प्रहलाद पुत्र रामकरण हिस्सा 13/17 हिस्सा तथा गोहनलाल पुत्र देवलाल हिस्सा 4/17 सा0 देह खातेदार के रूप मे दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खसरा नंबर 530 रकबा 0.33 है0 रामप्रसाद पुत्र किशनलाल हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा देह खातेदार के रूप मे दर्ज रिकार्ड है।

अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हुआ कि, पत्रावली में न तो तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस संलग्न है और न ही मौका रिपोर्ट संलग्न है। अदालत मातहत द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियम 68–70 की बिना पालना के ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट का महत्व इस तथ्य मे है कि कम से कम भू–अभिलेख निरीक्षक मौके की स्थिति की जांच प्रार्थना पत्र अनुतोष के अनुसार करें। परन्तु पत्रावली मे केवल नक्शा ट्रेस ही शामिल हैं। नक्शा ट्रेस, मौके की स्थिति रिर्पोट का विकल्प नही होकर उसकी पुष्टि में सहायक होता है।

जरव अपील प्राधिकारी
वाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किए, बिना मौका रिपोर्ट के नोटिस जारी किए ही तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जो आदेश पारित किए गए है, उसमें विधिक नियम व प्रकिया का पालन नही किए जाने से आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के प्रार्थना पत्र 16/2020 बउनवान प्रहलाद बनाम हंसराज वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 68–70 की पालना करते हुए पुनः नए सिरे निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 31.07.2023 को उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के समक्ष उपस्थित हो।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 28.06.2023 को सुनाया गया।

(हरि प्रेम मीणा) 28/6/23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner